



कार्यालय कुल सचिव
प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,
प्रयागराज

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

पत्रांक: प्रोरासिवि/कुसका/सम्बद्धता/2022 - 108

दिनांक: 20 अप्रैल, 2022

कार्यालय आदेश


एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 के सम्बद्धता के लिए महाविद्यालयों के स्थलीय निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन निरीक्षण मण्डल का गठन किया गया है।

2. इस कार्यालय आदेश के साथ संलग्न सूची में अंकित महाविद्यालयों द्वारा निरीक्षण मण्डल के सदस्य एवं सदस्य सचिवों को परिवर्तित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है जिसे स्वीकार करते हुए निरीक्षण मण्डल के सदस्य एवं सदस्य सचिव को ऑनलाइन परिवर्तित कर दिया गया है जो संलग्न सूची में अवलोकनीय है।

3. अग्रेतर सदस्य सचिवों से निरीक्षण आख्या में स्पष्ट संस्तुति दिए जाने की अपेक्षा की जाती है। शपथ पत्र या कमियाँ पूर्ण होने पर सम्बद्धता दिये जाने या Conditional संस्तुतियाँ नहीं की जायें। समस्त निर्धारित मानकों की पूर्ति पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा 37 (2) के प्राविधानानुसार केवल सम्बद्धता दी जा सकती है, इस बिन्दु को स्पष्ट रूप से Note करने का कष्ट करेंगे।

संलग्नक:

- 08 महाविद्यालयों की सूची जिनके निरीक्षण मण्डल को विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तित किया गया है।
- प्रारूप- 01, 02 एवं 03।


(एस0 के0 शुक्ल)
कुल सचिव।


प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग-2), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- सूची में अंकित 08 महाविद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या।
- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी तथा प्रयागराज/कौशाम्बी/प्रतापगढ़/फतेहपुर जनपदों के राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को इस आशय से प्रेषित है कि वह निरीक्षण मण्डल के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे तथा दिनांक: 10 मई, 2022 तक सम्बन्धित महाविद्यालयों का भौतिक निरीक्षण करते हुए निरीक्षण आख्या को उसी तिथि को एन0आई0सी0 द्वारा संचालित पोर्टल <http://henoc.upsdc.gov.in> पर ऑनलाइन सबमिट करते हुए उक्त निरीक्षण आख्या के प्रिन्ट आउट को अपने कवरिंग लेटर के साथ सीलबन्द लिफाफे में कुल सचिव कार्यालय में प्रत्येक दशा में आगामी दो कार्य दिवसों में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।



कार्यालय कुल सचिव
प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,
प्रयागराज


5. विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तित किये गये निरीक्षण मण्डल के सदस्यों को इस आशय से कि कृपया इस कार्यालय-आदेश के साथ संलग्न प्रारूप-01, 02 एवं 03 के अनुसार अपनी निरीक्षण आख्या कुलसचिव कार्यालय में गोपनीय रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।
6. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)।
7. निजी सचिव कुलपति को, मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ।
8. वैयक्तिक सहायक कुल सचिव।
9. प्रभारी एजेन्सी को इस आशय से कि उक्त कार्यालय आदेश को संलग्न सूची में अंकित महाविद्यालयों के लॉगिन पर एवं विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें।


(एस0 कै0 शुक्ल)
कुल सचिव।

**प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय
प्रयागराज**

महाविद्यालयों द्वारा प्रेषित आवेदन के क्रम में शैक्षिक सत्र 2022-23 में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के निमित्त माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार परिवर्तित किए गए निरीक्षण मण्डल के सदस्यों की सूची:-

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	आवेदित पाठ्यक्रम का नाम	नामित किये गये निरीक्षण मण्डल सदस्य का नाम	पुनः नामित होने वाले निरीक्षण मण्डल सदस्य का नाम
01	डॉ० कैलाश नाथ सिंह महाविद्यालय, नौडिया, उपरहार, शंकरगढ़, प्रयागराज।	बी०ए०- भूगोल, गृहविज्ञान, बी०कॉम० एम०ए०- प्रा०भा० इतिहास, शिक्षाशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र	सदस्य सचिव- डॉ० शुभा जोशी, प्राचार्या, महामाया राजकीय महाविद्यालय, सैदाबाद, प्रयागराज।	सदस्य सचिव- डॉ० अर्पणा मिश्रा, प्राचार्या, डॉ०बी०आर०अ०रा०स्ना०म० महाविद्यालय, फतेहपुर। (मो०नं०- 9919711095)
02	जय नारायण स्मारक डिग्री कालेज, सेहरा, करछना, प्रयागराज।	बी०ए०- शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान	सदस्य सचिव- डॉ० शुभा जोशी, प्राचार्या, महामाया राजकीय महाविद्यालय, सैदाबाद, प्रयागराज।	सदस्य सचिव- डॉ० कृष्ण चन्द्र वर्मा, संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रयागराज। (मो०नं०- 9450317504)
03	दशवंती देवी महाविद्यालय, चम्पापुर, खेमपट्टी, प्रयागराज।	बी०ए० बी०एससी०	सदस्य- डॉ० अर्चना सिन्हा, कु०आ०पी०जी० कालेज, प्रयागराज।	सदस्य - डॉ० पदम सिंह, महामाया राजकीय महाविद्यालय, धनुपुर, हण्डिया, प्रयागराज। (मो०नं०- 7007719274)
04	केवला पती डिग्री कालेज, सिधौरा, मुगरसन, हनुमानगंज, प्रयागराज। 0704500830003	एम०ए०- गृहविज्ञान, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र एम०एससी०- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित	सदस्य सचिव- डॉ० आशीष जोशी, प्राचार्य, दी०द०उ०रा०स्ना० महाविद्यालय, सैदाबाद, प्रयागराज।	सदस्य सचिव- डॉ० विनय कुमार सिंह, प्राचार्य, महामाया राजकीय महाविद्यालय, कौशांबी। (मो०नं०- 9415445924)
05	केवला पती डिग्री कालेज, सिधौरा, मुगरसन, हनुमानगंज, प्रयागराज। 0704500830002	बी०ए०- ड्राइंग एण्ड पेंटिंग, शिक्षाशास्त्र एम०ए०- प्रा०भा० इतिहास, राजनीति विज्ञान	सदस्य सचिव- डॉ० आशीष जोशी, प्राचार्य, दी०द०उ०रा०स्ना० महाविद्यालय, सैदाबाद, प्रयागराज।	सदस्य सचिव- डॉ० कृष्ण चन्द्र वर्मा, संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रयागराज। (मो०नं०- 9450317504)

AM. 



प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय
प्रयागराज

06	श्रीमती कृष्णा महाविद्यालय, सयांरा, सिराथू, कौशाम्बी। 07045050600005	बी०ए०- गृहविज्ञान बी०कॉम० एम०ए०- समाजशास्त्र	शिक्षाशास्त्र, भूगोल, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र	सदस्य- प्रो० बी०एन० सिंह, इ०वि०वि०, प्रयागराज।	सदस्य- प्रो० राजकुमार गुप्ता, पी०आर०एस०यू०, (मो०नं०- 7398871365)
07	उर्मिला महिला महाविद्यालय, झूँसी, प्रयागराज। 0704501630001	बी०ए० बी०एससी०	सदस्य- प्रो० चन्द्र देव पाण्डेय, इ०वि०वि०, प्रयागराज। सदस्य- डॉ० महेश प्रताप सिंह, यू०पी० कालेज, वाराणसी। सदस्य सचिव- श्री राजीव पाण्डेय, क्षे०उ०शि०अ०, प्रयागराज।	सदस्य- प्रो० अनुपम दीक्षित, इ०वि०वि०, प्रयागराज। (मो०नं०- 9335108519) सदस्य- प्रो० ओ०पी० श्रीवास्तव, इ०वि०वि०, प्रयागराज। (मो०नं०- 9935713733) सदस्य सचिव- डॉ० कृष्ण चन्द्र वर्मा, संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रयागराज। (मो०नं०- 9450317504)	
08	राम कृपाल सिंह महाविद्यालय, सराय मिखारी, किलाई, पट्टी, प्रतापगढ़। 0704503900001	बी०ए० बी०कॉम० बी०एससी०	सदस्य सचिव- डॉ० आशीष जोशी, प्राचार्य, दी०द०उ०रा०स्ना० महाविद्यालय, सैदाबाद, प्रयागराज।	सदस्य सचिव- डॉ० कृष्ण चन्द्र वर्मा, संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रयागराज। (मो०नं०- 9450317504)	









कुलसचिव कार्यालय
प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,
प्रयागराज

PART-1

उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, लखनऊ के पत्र संख्या- 1311/सत्तर-2-2012 दिनांक: 09 मई, 2012 के द्वारा निर्धारित निरीक्षण के बिन्दु-

- महत्वपूर्ण :-** 1- निरीक्षण मण्डल के सभी सदस्यों द्वारा निरीक्षण आख्या के पार्ट-1, पार्ट-2 एवं पार्ट-3 के सभी पृष्ठों पर दिनांक सहित हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
2- यदि निरीक्षण मण्डल द्वारा महाविद्यालय को आवेदित पाठ्यक्रम/विषय में नियमित सम्बद्धता/स्थायी सम्बद्धता की संस्तुति की जा रही है तो "सत्र से" का उल्लेख किया जाए और यदि केवल एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की संस्तुति की जाती है तो "सत्र हेतु" का उल्लेख किया जाए।
3- निरीक्षण आख्या, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी सहित निरीक्षण के दिनांक को ही विश्वविद्यालय की ई-मेल आईडी registraraaffiliation22@prsuniv.ac.in पर तथा एन0आई0सी0 द्वारा संचालित पोर्टल <http://henoc.upsdc.gov.in> पर दिनांक: 10 मई, 2022 तक उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

क्र.सं.	निरीक्षण बिन्दु	आख्या
1.	महाविद्यालय को संचालित करने वाली समिति के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्राचार्य द्वारा प्रमाणित छायाप्रति एवं वैधता की तिथि।	
2.	महाविद्यालय के मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित होने से सम्बन्धित खतौनी (मूल रूप में) होने की स्थिति एवं प्रमाण।	
3.	महाविद्यालय की भूमि के समस्त गाटों (एक से अधिक गाटा होने पर) का संयुक्तता प्रमाण-पत्र मूल रूप में एवं नजरी नक्शा मूल रूप में जिसमें महाविद्यालय के सम्पर्क मार्ग के चौड़ाई का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित हो तथा सम्पर्क मार्ग की भूमि किसके स्वामित्व की है, सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित होना आवश्यक है।	
4.	महाविद्यालय नगर निगम, नगरपालिका व नगर पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र आदि में अवस्थित होने की स्थिति में संदर्भगत निकाय के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र जो कि प्रबन्धक द्वारा स्वप्रमाणित हो, संलग्न किया जाये।	
5.	सॉसाइटी/महाविद्यालय के बचत खाते में मानकानुसार धनराशि जमा होने का अद्यतन प्रमाणित साक्ष्य सहित।	
6.	मानकानुसार प्राभूत धनराशि जमा होने तथा कुल सचिव के पक्ष में बंधक होने की स्थिति तथा ड्राफ्ट/अन्य इंस्ट्रूमेंट जो जमा किया गया है उसकी वैधता अवधि प्रमाण अंकित करते हुए ड्राफ्ट/अन्य इंस्ट्रूमेंट की प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाए।	
7.	प्रबन्ध तंत्र के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण/प्रविष्टियां तथ्यों पर आधारित एवं सही है, का रू0 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित शपथपत्र मूल रूप में होने की स्थिति।	
8.	स्नातकोत्तर विषय हेतु यू0जी0सी0 की धारा-2(F) में पंजीकृत होने की स्थिति (यदि लागू हो)	
9.	महाविद्यालय में मानकानुसार कक्षाओं, पुस्तकालय, अध्यापक कक्षा, छात्र-छात्रा कक्षा, प्रशासनिक कक्षा, प्राचार्य कक्षा, परीक्षा एवं मीटिंग कक्षा, शौचालयों, पेयजल तथा चहारदीवारी आदि के निर्मित होने तथा उनकी माप तथा उपलब्ध क्षेत्रफल के विवरण के साथ उसका प्रमाण (संख्या, क्षेत्रफल एवं नक्शा सहित) (शासनादेश दिनांक: 27.02.2002 के अनुसार)।	
10.	प्रायोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रयोगशालाएं स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयंत्र होने की स्थिति। (शासनादेश दिनांक: 27.02.2002 के अनुसार)	
11.	निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ भवन का फोटोग्राफ, चहारदीवारी निर्मित होने का प्रमाण पत्र, व्याख्यान कक्षाओं, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के सुसज्जन का निरीक्षण दल के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ व फोटो पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर उपलब्ध होने की स्थिति।	



कुलसचिव कार्यालय
प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,
प्रयागराज

PART-2

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निरीक्षण के अन्य बिन्दु-

क्र.सं.	निरीक्षण बिन्दु	आख्या
1.	महाविद्यालय को दी गई अनापत्ति जिसमें गाटाओं का उल्लेख किया गया है, क्या उसी गाटाओं पर महाविद्यालय निर्मित है अथवा नहीं।	
2.	महाविद्यालयों में अनुमोदित एवं कार्यरत प्राचार्य तथा शिक्षकों के स्थानीय पते तथा किराया अनुबन्ध-पत्र की प्रति संलग्न की जाए।	
3.	प्राचार्य तथा शिक्षकों के मोबाइल नंबर	
4.	प्राचार्य तथा शिक्षकों के व्हाट्सअप नंबर	
5.	प्राचार्य तथा शिक्षकों के ई0मेल0 आई0डी0	
6.	प्राचार्य तथा शिक्षकों के पैन कार्ड नंबर	
7.	प्राचार्य तथा शिक्षकों के आधार कार्ड नंबर	
8.	प्राचार्य तथा शिक्षकों के निर्वाचन कार्ड नंबर	
9.	महाविद्यालय की वेबसाइट का विवरण	
10.	प्राचार्य तथा शिक्षकों के बैंक खाते का एकाउंट नंबर, तथा सम्बन्धित बैंक का नाम, शाखा का नाम, आई0एफ0एस0सी0 नंबर, जनपद का नाम तथा बैंक का फोन नंबर	
11.	संस्था के बैंक खाते का नंबर तथा सम्बन्धित बैंक का नाम, शाखा का नाम, आई0एफ0सी0 नंबर, जनपद का नाम तथा बैंक का फोन नंबर।	
12.	महाविद्यालय की विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त प्रबन्ध समिति के स्वप्रमाणित अभिलेख उपलब्ध होने का प्रमाण साक्ष्य सहित।	
13.	महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के बैठक करने से सम्बन्धित नियमावली एवं किये गये बैठक के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति के सदस्यों को बुलावा-पत्र भेजने का प्रमाण (Postal receipt or By hand received), किये गये बैठक एवं कार्यवाही का प्रमाण साक्ष्य सहित।	
14.	महाविद्यालय के संचालक संस्था (सोसाइटी/ट्रस्ट) की नियमावली की सत्यापित छायाप्रति।	
15.	महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण तथा उनकी प्रवेश क्षमता (मानक संलग्न है)	
16.(i)	महाविद्यालय द्वारा आवेदित एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/विषयों हेतु अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों एवं प्राचार्य का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा होने का प्रमाण एवं विगत 03 वर्ष का वेतन भुगतान बैंक के द्वारा होने का प्रमाण-पत्र जो कि खाते से सम्बन्धित बैंक के मैनेजर द्वारा प्रमाणित किया गया है, मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य है। (बैलेंस सीट में टीचर सैलरी के एक्सपेंडीचर के आधार पर)	
16(ii)	शिक्षकों एवं प्राचार्य के विश्वविद्यालय के अनुमोदन पत्र, उनके अद्यतन कार्यरत होने की निरीक्षण मण्डल द्वारा पुष्टि की जायेगी। उनके अनुबन्ध पत्र की छायाप्रतियां प्राचार्य द्वारा स्वप्रमाणित प्रमाण संलग्न की जाए।	
17.	महाविद्यालय में कार्यरत एवं अनुमोदित शिक्षकों एवं प्राचार्य के बैंक पासबुक की बैंक मैनेजर द्वारा सत्यापित छायाप्रति जिसमें कम से कम एक (01) वर्ष का विवरण हो।	
18.	सोसाइटी/ट्रस्ट की वार्षिक आय के समस्त स्रोत, जिला अधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत/आय प्रमाण पत्र तथा संस्था की विगत 03 वर्ष की सी0ए0 द्वारा तैयार की गई बैलेंस सीट जो कि सी0ए0 के द्वारा ही प्रमाणित की गई है, की प्रतिलिपि संलग्न की जाये।	
19.	फर्नीचर, पुस्तकें, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं हेतु संसाधनों का विवरण एवं उनके क्रय किये जाने के सम्बन्ध में बिल, वाउचर तथा	



कुलसचिव कार्यालय
प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,
प्रयागराज

	स्टॉक प्रविष्टि की सत्यापित छायाप्रति तथा एक A-4 साइज के पेपर पर बिलों का विवरण यथा- बिल संख्या, बिल मूल्य तथा दिनांक सहित।(आइटम कैटेगरी वाइज)	
20.	शासनादेश संख्या-197/छ:पु0-8-2018-801(64) /2017 टी0सी0 दिनांक 01.02.2019 के अनुसार महाविद्यालय के भवन हेतु ऑनलाइन अद्यतन अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र जो कि वर्ष 2022-23 हेतु निर्गत किया गया हो।	
21.	शासनादेश संख्या- 1528/79.6.2008 दिनांक: 20 जुलाई, 2009 के अनुसार महाविद्यालय के भवन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड- 2005 के अनुरूप भवन की उपयुक्तता के सम्बन्ध में निर्गत प्रमाण पत्र। (पत्रांक संख्या एवं दिनांक सहित)	
22.(i)	निरीक्षण की आख्या (सॉफ्ट कॉपी MS word krutidev010 font) एवं फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी में संलग्न की जाये तथा registraraffiliation22@prsuniv.ac.in पर प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।	
21(ii)	निरीक्षण आख्या एवं तथा वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी को निरीक्षण की तिथि को ही निरीक्षण मण्डल द्वारा पेनड्राइव में भी विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाए। निरीक्षण मण्डल का दायित्व है कि वीडियोग्राफी चलवाकर देख लें तथा फोटोग्राफ्स इस प्रकार से ली जायें कि पंखे, ब्लैक बोर्ड, खिड़कियाँ, दरवाजे, फर्नीचर, बिजली की वायरिंग आदि-आदि स्पष्ट रूप से दिख रहे हों।	
23.	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पूर्व सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सम्बद्धता आदेशों (यदि कोई हो तो) प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कराकर छायाप्रति संलग्न की जाए।	
24.	सत्र 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 में महाविद्यालय में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में विषयवार/पाठ्यक्रमवार अध्ययनरत् कुल छात्रों की सूची तथा विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल एवं महाविद्यालय के सामूहिक नकल में आरोपित नहीं होने का प्रमाण जो कि प्राचार्य द्वारा प्रमाणित हो, संलग्न करना अनिवार्य है।	
25.	महाविद्यालय के प्रबन्धक द्वारा रू0 100/- का फोटोयुक्त शपथ-पत्र जिसमें महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों का विवरण, संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त होने का विवरण, अनुमोदित एवं कार्यरत् शिक्षकों एवं प्राचार्य का विवरण तथा उनका वेतन भुगतान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम-2018 के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार किया जा रहा है (प्रारूप संलग्न)।	

निरीक्षण मण्डल के हस्ताक्षर

1. सदस्य मय नाम, पदनाम तथा मोबाइल नम्बर
2. सदस्य मय नाम, पदनाम तथा मोबाइल नम्बर
3. सदस्य सचिव मय नाम, पदनाम तथा मोबाइल नम्बर



कुलसचिव कार्यालय
प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,
प्रयागराज
PART-3

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निरीक्षण के अन्य बिन्दु-

क्र०सं०	बिन्दु	आख्या
1.	मैंने अवस्थापनाओं के सम्बन्ध में स्वयं अभिलेखों एवं स्थलीय भौतिक निरीक्षण कर लिया है और मानकों के पूर्ण होने की स्थिति में मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ।	
निरीक्षण मण्डल यह जानता है कि-		
2.	यदि निरीक्षण टिप्पणी में कोई तुलनात्मक त्रुटि पायी गयी तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।	
3.	शासनादेश संख्या-4954/सत्तर-2-2008-2(166)/2002 दिनांक 27.09.2008 के अनुसार निरीक्षण आख्या में कोई त्रुटि भविष्य में प्रकाश में आयेगी तो सभी सदस्य सामूहिक रूप से दण्ड के भागी होंगे।	

निरीक्षण मण्डल के पार्ट-1, पार्ट-2 तथा पार्ट-3 की टिप्पणियों, संलग्न साक्ष्यों तथा महाविद्यालय के भौतिक स्थलीय निरीक्षण पर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2022-23 से/हेतु (जो लागू न हो, उसे काट दें) निम्नलिखित संकायों में तथा उनके अन्तर्गत अंकित विषयों में सम्बद्धता दिए जाने की संस्तुति हम निरीक्षण मण्डल द्वारा दी जाती है।

संकाय का नाम :

विषय का नाम

संस्तुत प्रवेश क्षमता (मानकानुसार)